कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़)

E-mail :- divisionmanendragarh@rediffmail.com Phone - 07771-241349, Fax 243731

क्र./मा.चि./ 2018/887 मनेन्द्रगढ़/दिनांक 5/5/2018

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक
सरगुजा वनवृत्त
अम्बिकापुर

विषय :— राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक – 43(पुराना रा.रा. क्रमांक–78) के मध्यप्रदेश सीमा मनेन्द्रगढ़ से सूरजपुर (डुमरिया) कि.मी. 245.000 से 331.000 तक का 2 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य कॉरिडोर योजना।

संदर्भ :— 1. कार्या. पत्र क्र./मा.चि./2018/47 दिनांक 05.01.2018
2. आपका पत्र क्र./मा.चि./न.क्र.–87/2018/618 अम्बिकापुर दिनांक 12.02.2018

—— 00 ——

निवेदन है कि मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक – 43(पुराना रा.रा. क्रमांक–78) के मध्यप्रदेश सीमा मनेन्द्रगढ़ से सूरजपुर (डुमरिया) कि.मी. 245.000 से 331.000 तक का 2 लेन मय पेव्हड शोल्डर चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य कॉरिडोर योजना के प्रस्ताव में 7 बिन्दुओ की कमियों पाई गई थी। जिसका निराकरण कर पालन प्रतिवेदन व प्रस्ताव 4 प्रतियों में आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

क्र.	प्रकरण में पाई गई कमियां	निराकरण
1	प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र – 01 द्वारा कुल वनभूमि 36.99 हे. (मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत वनभूमि 27.300 हे. एवं कोरिया वनमण्डल अंतर्गत 9.69 हे.) हेतु पंजीयन क्रमांक–FP/CG/ROAD/21393/2016 आबंटित करते हुए प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल को प्रस्ताव प्रसंस्कृत करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपके संदर्भित पत्र – 02 द्वारा इस कार्यालय को व्यपवर्तन प्रस्ताव के प्रेषण पत्र में सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के प्रकरण में मनेन्द्रगए वनमण्डल अंतर्गत स्थित वनभूमि 27.300 हे. का ही उल्लेख करते हुए व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जबतकि प्रकरण में आप नोडल अधिकारी हैं, उक्त हैसियत से व्यपवर्तन प्रकरण में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल में आवेदित वनभूमि 27.300 हे. के साथ–साथ कोरिया वनमण्डल में भी आवेदित वनभूमि 9.69 हे. को भी सम्मिलित कर/उल्लेखित करते हुए व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषण का पत्र प्रारूप प्रस्तुत करते। आपके संदर्भित पत्र–02 द्वारा सिर्फ मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत स्थित वनभूमि का मुख्य पत्राचार में उल्लेख कर प्रस्ताव प्रेषित करना आधी–अधूरी जानकारी प्रेषित करने के समान है। प्रकरण में समस्त पत्राचार आपके द्वारा नोडल अधिकारी के हैसियत से दोनों वनमण्डल में सम्मिलित वनभूमि का उल्लेख करते हुए भविष्य में पत्र प्रेषित करें।	प्रकरण पंजीयन क्रमांक– FP/CG/ROAD/21393/2016 में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल की वनभूमि 27.03 हेक्टे. एवं कोरिया वनमण्डल की वनभूमि 9.69 हेक्टे. है कुल 36.99 हेक्टे. वनभूमि का प्रस्ताव प्रस्तुत है। भविष्य में पत्राचार करते समय दोनो वनमण्डल की जानकारी नोडल अधिकारी की हैसियत से प्रेषित की जावेगी।
2	व्यपवर्तन प्रस्ताव में प्रस्तुत फार्म–ए, पार्ट–01 के पृ. क्रमांक–09 में आवेदक संस्थान द्वारा B-2.1 में गैर वनक्षेत्र के विवरण तहत् मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत गैर वनक्षेत्र 79.96 हे. एवं कोरिया वनमण्डल अंतर्गत गैर वनक्षेत्र 122.	गैर वनक्षेत्र का रिकार्ड के अनुसार विवरण निम्नानुसार है –

<table>
<tr>
<td></td>
<td>88 हे. कुल गैर वनक्षेत्र 202.79 हे. दर्शित है, जबकि चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–04 तहत् दिये गये गैर वनक्षेत्र के विवरण में आपके द्वारा मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत गैर वनक्षेत्र 13.621 हे. एवं कोरिया वनमण्डल अंतर्गत 51.904 हे की जानकारी दी गई है, जो कि अपने आप में विरोधाभास है। उक्त संबंध में गैर वनक्षेत्र के विवरण तहत् कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत लिये गये गैर वनक्षेत्र की सही जानकारी स्पष्ट करें।</td>
<td>
<table>
<tr><td>वनमण्डल का नाम</td><td>गैर वनक्षेत्र का रकबा (हेक्टे.)</td></tr>
<tr><td>मनेन्द्रगढ़</td><td>79.96</td></tr>
<tr><td>कोरिया</td><td>122.83</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>202.79</td></tr>
</table>
उक्त गैर वनक्षेत्र की जानकारी का रकबा सही है। आवेदक संस्थान के द्वारा ऑनलाईन जानकारी सुधार की गई है।
</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>व्यपवर्तन प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्रमांक–05, जिसके तहत् प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इण्डिया का मूल टोपोशीट 1:50000 के स्केल पर प्रस्तुत किया जाना है। उक्त चेक लिस्ट तहत् आपके द्वारा सर्वे ऑफ इण्डिया की दो टोपोशीट क्रमांक – 44E 4 एवं 44E 7 संलग्न किया गया है। प्रस्तुत मैप के परीक्षण में पाया गया कि रोड के सम्पूर्ण पाथ का उक्त दोनों मैप द्वारा प्रस्तुतकरण पूर्ण नही हो रहा है। पाथ के पूर्ण होने में एक मैप 44E 3 की आवश्यकता होगी, जो कि संलग्न नही है। प्रकरण में सड़क मार्ग सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट में पूर्ण परिलक्षित होने के संदर्भ में उक्त मैप 44E 3 की प्रति भी प्रस्ताव में संलग्न करें।</td>
<td>सर्वे ऑफ इण्डिया की मूल टोपोशीट 1:50000 की स्केल पर प्रस्तुत टोपोशीट क्र. 44E 4 एवं 44E 7 प्रस्तुत किया गया है। टोपोशीट क्र. 44E 3 संलग्न है।</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>व्यपवर्तन प्रस्ताव के चेक लिस्ट क्रमांक–07 जिसके तहत् प्रपत्र–04 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। प्रपत्र–04 में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत पृ.क्रमांक–74 एवं 84 में प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों की संख्या 914 दी गई है, जबकि चेक लिस्ट क्रमांक–12 वृक्ष विदोहन विवरण प्रपत्र–अ एवं ब में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत पृ. क्रमांक–172 में विदोहन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या 974 दी गई है। दोनों जानकारियों में अंतर होने का कारण स्पष्ट करें।</td>
<td>वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है –
<table>
<tr><td>विवरण</td><td>मनेन्द्रगढ़</td><td>बिहारपुर</td><td>योग</td></tr>
<tr><td>वनक्षेत्र</td><td>587</td><td>373</td><td>960</td></tr>
<tr><td>राजस्व वन</td><td>6</td><td>8</td><td>14</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>593</td><td>481</td><td>974</td></tr>
</table>
टंकण त्रुटि होने के कारण 914 टंकित हो गई थी जो गलत थी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल की वनक्षेत्र की कुल वृक्षों की संख्या 974 है जो सही है।
</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>चेक लिस्ट क्रमांक–12 जिसके तहत् वृक्ष विदोहन विवरण प्रपत्र–अ एवं ब में दिया जाना है। जिसमें आपके द्वारा मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत कुल वनभूमि 27.45 हे. दी गई है, जबकि मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतग्रत कुल वनभूमि 27.300 हे. है। दोनों में अंतर का कारण स्पष्ट करें।</td>
<td>चेक लिस्ट क्रमांक–12 में वृक्ष विदोहन विवरण पृ. क्र. 172 में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत कुल प्रस्तावित भूमि 27.45 हेक्टे. अंकित है, जिसका कारण खसरा क्र. 299 रकबा 0.15 हेक्टे. 2 बार अंकित हो गया है, जो गलत है। 0.15 हेक्टे. घटाने पर 27.30 हेक्टे. होता है, जो मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल की प्रस्तावित कुल भूमि 27.30 हेक्टे. के समान है। पेज क्र. 172 में सुधार कर ली गई है।</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>व्यपवर्तन प्रस्ताव के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र–03, तहत् मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत स्थित वनभूमि के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के पृ.क्रमांक–266 में आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति साईट क्वालिटी साल चतुर्थ अ का वनक्षेत्र दर्शित किया गया है, जबकि आपके द्वारा चेक लिस्ट क्रमांक–07, तहत् प्रपत्र–04 में मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल अंतर्गत स्थित वनभूमि के प्रस्तुत प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र का साईट क्वालिटी साल III एवं मिक्स – IV A दर्शित किया गया।</td>
<td>व्यपवर्तन प्रस्ताव के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रपत्र–03 तहत् मनेन्द्रगढ़ स्थित वनभूमि के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृ.क्र. 266 में आवेदित क्षेत्र के वनों की वर्तमान स्थिति साईट क्वालिटी साल चतुर्थ अ दर्शित किया गया है जो सही है। लिस्ट क्रमांक 07, प्रपत्र–4 पृ.क्र. 74 में दर्शित साईट</td>
</tr>
</table>

	है। व्यपवर्तन प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र का सही क्वालिटी क्लॉस दर्शित करें।	क्वालिटी साल तृतीय एवं मिश्रित चतुर्थ अ को सुधार कर साल चतुर्थ अ सुधार कर दिया गया है। घनत्व 0.5 से कम है जो सही है।
7	व्यपवर्तन प्रस्ताव में प्रस्तुत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना पृ. क्रमांक – 248 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के पुनरीक्षित मानचित्र में वनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	पृ. क्रमांक – 248 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के पुनरीक्षित मानचित्र में वनमण्डलाधिकारी मनेन्द्रगढ़ के हस्ताक्षर थे, एक सेट में हस्ताक्षर छूट गये थे, जो कि पुनः हस्ताक्षर करा लिया गया है।

संलग्न :– 4 प्रति में प्रस्ताव।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ

पृष्ठाकंन क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 888 **मनेन्द्रगढ़ / दिनांक** 5 / 5 **/ 2018**

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू–प्रबंध एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम 1980 छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर कोरिया, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ